21.4.22 पत्रावली पेश हुई। बकुलाप उपस्थित। बहस के दौरान प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि आवेदक की भूमि को वन विभाग अपनी नक्शा लोर के अनुसार वन भूमि मानता है जबकि सम्वत 2022 के पूर्व से आवेदक व आवेदक के पूर्व खातेदार ही काबिज काश्त रहे हैं। अतः वन विभाग की नक्शा लोर को राजस्व नक्शा लोर के अनुसार दुरुस्त किया जावे व वन विभाग की लोर में मौके व राजस्व लोर के अनुसार गैर वन भूमि की तरमीम की जावे। अप्रार्थी नं. 1 के वकील ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है। अप्रार्थी नं. 3 ने कथन किया कि रिकार्ड व नियमानुसार किया जाता है तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी नं. 2 ने फर्द रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वन विभाग की नक्शा लोर को राजस्व लोर के अनुसार दुरुस्त कराया जावे। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी वन विभाग की नक्शा लोर में दुरुस्ती करवाना चाहता है। वन विभाग प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। उक्त विषय से प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि की नक्शा लोर में तरमीम/दुरुस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि से संबंधित होने से खारीज किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 36 LR Act वन विभाग की नक्शा लोर दुरुस्त करने बाबत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि से संबंधित होने के कारण खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

21/4/22

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:38:55 IST
Reason: SelfAttested